Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 9, June-2019, ISSN 2230-7540

भारत में लोक अदालत की अवधारणा: वैकल्पिक न्याय समाधान

Ratan Singh Tomar[1]* Prof. (Dr.) Narendra Kumar Thapak[2]

[1] Research Scholar, LNCT University, Bhopal, Madhya Pradesh

[2] Research Director, LNCT University, Bhopal, Madhya Pradesh

सार – ***न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों या मुदमेबाजी के पूर्व के विवादों का आपसी सूझ-बूझ के आधार पर निपटारा किऐ जाने हेतु लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। जिसमें पक्षकार अपने मामले का निपटारा आपसी समझौते, सूझ-बूझ एवं सुलह से लोक अदालतों के माध्यम से करा सकते हैं।***

----------X----------

लोक अदालत:

लोक अदालत से अभिप्रेत "विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987" के अध्याय 6 के अधीन आयोजित लोक अदालत है:

लोक अदालत विवादों को आपसी समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है।

- ऐसे आपराधिक मामलों को छोड़कर जिनमें समझौता गैर कानूनी है, सभी मामले लोक अदालतों द्वारा निपटाये जा सकते है।
- लोक अदालतों को कानूनी मान्यता प्राप्त होने के कारण इनके फैसलों को अदालतों का फैसला माना जाता है और यह सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है।
- लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित मामलों में कोर्ट फीस लौटाये जाने की भी व्यवस्था है।
- सभी जिलों में स्थायी एवं निरंतर लोक अदालतों की स्थापना की गई और व्यक्तियों को अपने विवादों को इन लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रेरित किया गया है।

लोक अदालत न्यायिक प्रक्रिया का एक अंग है जिससे न्याय की गति त्वरित होती है तथा निर्णय त्वरित प्राप्त होता है जिसका स्वरूप अंतिम होता है।

लोक अदालत के उद्देश्य:

न्यायालयों में दिन प्रतिदिन बढ़ते कार्य बोझ एवं लम्बे समय तक विवादों के लम्बित रहने से पक्षकारों के मध्य स्नेह, सोहार्द एवं सद्भाव के गिरते स्तर से चिन्ता व्यक्त करते हुये न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एंव ऐसे प्रकरणों जो न्यायालय में संस्थित नहीं किऐ गये है, में आपसी मेल मिलाप कराकर सौहार्द पूर्ण वातावरण में समझौता संपन्न कराने हेतु विधि आयोग द्वारा जन न्यायालयों के माध्यम से विवाद का त्वरित निराकरण होगा, फलस्वरूप पक्षकारों में स्नेह एवं सदभाव बना रहेगा तथा न्यायालयों का कार्य का बोझा घटेगा, जिससे न्यायालय के प्रति जन-आस्था स्थापित रह सकेगी।

लोक अदालत की स्थापना का उद्देश्य व्यवस्था में गतिशीलता लाना है। भारतीय न्याय व्यवस्था में तृणमूल स्तर से लेकर सर्वोच्च स्तर पर लंबित मुकदमों का अत्यधिक दवाब है। न्याय व्यवस्था में समय के साथ लंबित प्रकरणों की निराकरित करने की समस्या रही है। लोक अदालत के माध्यम से निश्चित ही इस दोष को कम किया जा सकता है। न्यायालयों में लंबित विभिन्न ऐसे प्रकरण है जिन्हें पक्षकार आपस में मिलकर सुलझाना चाहते हैं, उनके लिए लोक अदालत वह न्यायालय है, जिसे विधिक मान्यता प्राप्त है। पीड़ित व्यक्तियों को लोक अदालत के माध्यम से

www.ignited.in

अपने आपसी विवाद जो अदालत के निर्णय क्षेत्र में आते है। सुलझाने का ये सरल, उचित तथा विश्वसनीय साधन है।

म.प्र. राज्य मंत्री परिषद द्वारा राज्य में लोक अदालतों की स्थापना के संबंध में एक स्कीम (योजना) स्वीकृत कर राज्य मंे नवम्बर 19 सन् 1985 से प्रभावशाली करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के अनुसार योजना का सूत्रपात राज्य मंे मध्यप्रदेश, समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम के अंतर्गत स्थापित बोर्ड द्वारा पक्षकारों के बीच विधिक विवादों का समाधान, उसकी दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के बारे में बातचीत अथवा सुलह द्वारा व्यवहारिक तथा प्रेरक मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर अनुभवी सुलह कर्ताओं की टीम के सदस्यों की सहायता से करने की व्यवस्था द्वारा किया गया।

तद्नुसार विवादग्रस्त निम्न दो श्रेणी के मामलों का त्वरित समाधान पक्षकारों की उपस्थिति में लोक अदालत द्वारा कराया जाना अपेक्षित है:-

(अ) वे मामले जो न्यायालय में चालू है।

(ब) ऐसे मामले जो न्यायालय में प्रस्तुत न किऐ हो। दूसरे शब्दों में मुकदमेंबाजी के पूर्व के मामले।

लोक अदालतों का आयोजन:

1. यथास्थिति, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधि सेवा समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति ऐसे अंतरालों और स्थानों पर और ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए जो वह ठीक समझे, लोक अदालतों का आयोजन कर सकेगी।

2. किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत इस क्षेत्र के उतने:-

(I) सेवारत या सेवानिवृत न्यायिक अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों, से मिलकर बनेगी जितने ऐसी लोक अदालतों का आयोजन करने वाले, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा निविर्दिष्ट किए जाऐं। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के लिए उपधारा (2) के खंड (ख) से निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताऐं वे होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाऐ।

(II) उपधारा (3) की निर्दिष्ट लोक अदालतों से भिन्न लोक अदालतों के लिए उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताऐं वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाऐ।

(III) किसी लोक अदालत को, उस न्यायालय के, जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की जाती है:-

(अ) समक्ष लंबित किसी मामले की बावत् या

(ब) उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले, किसी ऐसे विषय की बावत जो उसके समक्ष नहंी लाया गया है। किसी विवाद का अवधारण करने और उसके पक्षकारों के बीच समझौता या परिनिर्धारण करने की अधिकारिता होगी।

परन्तु लोक अदालतों को किसी ऐसे अपराध से संबंधित किसी मामले या विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी, जो किसी विधि के अधीन नहीं है।

लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान:

(1) जहां धारा 19 की उपधारा (5) के खंड (1) में निर्दिष्ट किसी मामले में:-

उस मामले को परिनिर्धारण के लिये लोक अदालत को निर्दिष्ट करने के लिए:-

(क) उसके पक्षकार सहमत हैं, या

(ख) उसका कोई पक्षकार न्यायालय को आवेदन करता है और यदि ऐसे न्यायालय को प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है कि ऐसे परिनिर्धारण की संभावनाऐं है, या

परंतु खंड (I) को उपखंड (ख) या खंड (II) के अधीन कोई मामला लोक अदालत को ऐसे न्यायालय द्वारा पक्षकारों को

www.ignited.in

सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात् ही निर्दिष्ट किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी वात के होते हुए भी, धारा 19 की उपधारा (I) के अधीन लोक अदालत का आयोजन करने वाला प्राधिकरण या समिति धारा 19 की उपधारा (V) की खंड (।।) में किसी मामले के किसी एक पक्षकार से ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर कि ऐसे मामले को लोक अदालत की अवधारणा के लिए निर्दिष्ट कर सकेगी।

(3) जहां कोई मामला उपधारा (I) के अधीन लोक अदालत को निर्दिष्ट किया जाता है या जहां उपधारा (II) के अधीन उसे कोई निर्देश किया गया है, वहां लोक अदालत उस मामले या विषय का निपटारा करने के लिए अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता कराएगी या परिनिर्धारण करेगी।

(4) प्रत्येक लोक अदालत इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष किसी निर्देश का अवधारण करते समय पक्षकारों के बीच समझौता कराने या परिनिर्धाण करने के लिए अत्यधिक शीघ्रता से कार्य करेगी और न्याय, साम्या, ऋजु और अन्य विधिक सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी।

(5) जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका है, वहां उस मामले का अभिलेख उसके द्वारा, उस न्यायालय को, जिससे उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त हुआ था, विधि के अनुसार निपटाने के लिए लौटा दिया जाएगा।

(6) जहां लोक अदालत द्वारा कोइ्र अधिनिर्णय इस आधार पर नहीं यिा जाता है कि पक्षकारों के बीच उपधारा में (2) में निर्दिष्ट विषय में कोई समझौता या परिनिर्धारण नहीं हो सका है यहां यह लोक अदालत पक्षकारों को किसी न्यायालय से उपचार प्राप्त करने की सलाह देगी।

(7) जहां मामले का अभिलेख उपधारा (5) के अधीन न्यायालय को लौटाया जाता है वहां ऐसा न्यायालय ऐसे मामले पर उस प्रथक से कार्यवाही करेगा जिस तक उपधारा (1) के अधीन ऐसा निर्देश करने के पूर्व कार्यवाही की गई थी।

लोक अदालत का आयोजन

(1) लोक अदालत, बन्द शनिवारों, रविवारों तथा अवकाश दिनों पर ऐसे समय तथा स्थान पर आयोजित की जा सकेगी जो यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समिति, लोक अदालत आयोजित करने के लिए समुचित समझे।

(2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, ऐसे समय तथा स्थान पर लोक अदालत आयोजित कर सकेगी जो वह उचित समझे या जैसे कि पृथकतः विहित किया जाये।

लोक अदालत में समझौता या निपटारा कराने के लिए प्रक्रिया

(1) लोक अदालत का प्रत्येक अभिनिर्णय या आदेश गठित की गई लोक अदालत के पेनल द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(2) मूल अधिनिर्णय या आदेश न्यायिक अभिलेख का भाग होगा और अधिनिर्णय या आदेश की एक प्रति प्रत्येक पक्षकारों को दी जाएगी, जो लोक अदालत पीठ द्वारा सत्यप्रति के रूप में सम्यक् रूप से सत्यापित की जाएगी।

अधिनिर्णय/आदेश विशिष्ट तथा स्पष्ट होगाः-

(1) लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय या आदेश/विशिष्ट तथा स्पष्ट होगा और स्थानीय न्यायालयों में उपयोग की गई भाषा में लिखित होगा।

(2) लोक अदालत के अभिनिर्णय या आदेश पर विवाद के पक्षकारों से यथास्थिति अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे के निशान लगाने की अपेक्षा की जाएगी।

परिणामों का संकलन

लोक अदालत के सत्र की समाप्ति पर यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए अनुलग्न प्रारूप में परिणामों को संकलित करेगा।

www.ignited.in

लोक अदालत के अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द को मानदेय

(1) लोक अदालत की पीठ का प्रत्येक सदस्य ऐसे वाहन भत्ते का हकदार होगा जैसा कि मुख्य संरक्षक द्वारा नियत किया जाए।

(2) तालुक तथा जिला स्तरों पर आयोजित लोक अदालतों का पीठासीन अधिकारी भी ऐसी दर पर मानदेय का हकदार होगा जैसा कि मुख्य संरक्षक द्वारा नियत की जाए।

(3) उच्च न्यायालय स्तर पर आयोजित लोक अदालत का पीठासीन अधिकारी भी ऐसी दर से मानदेय का हकदार होगा जैसा कि मुख्य संरक्षक द्वारा नियत की जाए।

(4) न्यायालयीन समय के पश्चात जिला एवं स्तरों पर आयोजित लोक अदालतों के न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीवृन्द भी ऐसी दर से मानदेय/पारिश्रमिक के हकदार होंगे जैसा कि मुख्य संरक्षक द्वारा नियत किया जाये।

(5) उच्च न्यायालय जिला एवं तहसील स्तरों पर आयोजित लोक अदालतों के कर्मचारीवृन्द भी ऐसी दर से पारिश्रमिक के हकदार होंगे जैसा कि मुख्य संरक्षक द्वारा नियत किया जाये।

अभिलेख बनाए रखने की प्रक्रिया

(1) यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें लोक अदालत को बतौर निर्देश के उसके द्वारा प्राप्त समस्त मामले निम्नलिखित विवरण देते हुए प्रविष्ट किए जाएंगे।

(1) प्राप्ति की तारीख,

(2) मामले का प्रवर्ग तथा विषयवार प्रकृति,

(3) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो कि आवश्यक समझी जाएं, और

(4) समझौते की तारीख तथा फाईल वापसी की तारीख

(2) जब लोक अदालत द्वारा मामला अंतिम रूप से निपटा दिया जाये तब रजिस्टर में सुचित प्रविष्टि की जाएगी।

बजट

(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा जिला प्राधिकरण, लोक अदालत स्कीम के प्रबंध में वित्तीय वर्ष के आधार पर बजट प्रस्ताव राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे।

(2) लोक अदालत स्कीम के लिए जो व्यय होगा यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा जिला प्राधिकरण तथा तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा प्राप्त किए गए अनुदानों में से किया जा सकेगा।

(3) तालुक विधिक सेवा समिति, लोक अदालत स्कीम के संबंध में वित्तीय वर्ष के आधार पर, बजट प्रस्ताव जिला प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी।

स्थायी लोक अदालतों की स्थापना:

धारा 19 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानों पर और एक या एक से अधिक लोक उपयोगी सेवाओं की बावत् ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाऐ, स्थायी लोक अदालतें स्थापित की जा सकती है।

उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के लिए स्थापित प्रत्येक स्थायी लोक अदालत, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा ऐसी स्थायी लोक अदालत स्थापित करते हुए नियुक्त किए गये निम्नलिखित व्यक्तियों से मिल कर बनेगी:-

(क) ऐसा व्यक्ति, जो जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश है या रहा है या जिला न्यायाधीश की पंक्ति से उच्चतर पंक्ति का न्यायिक पद धारण किए हुए है, स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष होगा, और

(ख) दो अन्य ऐसे व्यक्ति जिनके पास लोक उपयोगी, सेवा का पर्याप्त अनुभव है, और जो यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण की

www.ignited.in

सिफारिश पर यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाऐंगे, और अध्यक्ष तथा खंड (ब) मे निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निर्बधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाऐ।

स्थायी लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान:

(1) किसी विवाद का कोई पक्षकार, विवाद को किसी न्यायालय के समक्ष लाने से पूर्व, विवाद के निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालत को आवेदन कर सकेगा।

परन्तु यह है कि स्थायी लोक अदालत को ऐसे मामले में भी अधिकारिता नहीं होगी जिसमें वादग्रस्त संपत्ति का मूल्य दस लाख से अधिक है।

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय प्राधिकरण से परामर्श करके दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट दस लाख रूपये की सीमा को बढ़ा सकेगी।

(2) स्थायी लोक अदालत के अधीन आवेदन किए जाने के पश्चात्, उसे आवेदन का कोई पक्षकार उसी विवाद के लिए किसी न्यायालय की अधिकारिता का अविलंब नहीं होगा।

(3) जहां किसी स्थायी लोक अदालत के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहां वह:-

(क) आवेदन के प्रत्येक पक्षकार को उसके समक्ष लिखित कथन फाइल करने का निर्देश देगी जिसमें आवेदन के अधीन विवाद के तथ्यों और प्रकृति, ऐसे विवाद के मुद्दों या विवाधकों और, यथास्थिति ऐसे मुद्दों या विवाद्यकों के समर्थन में या उसके विरोध में अवलंबित आधारों का कथन होगा और ऐसा पक्षकार ऐसे कथन की अनुपूर्ति में ऐसा कोई दस्तावेज या अन्य साक्ष्य दे सकेगा जिसे ऐसा पक्षकार ऐसे तथ्यों और आधारों के सबूत में समुचित समझता है और ऐसे कथन की एक प्रति ऐसे दस्तावेज या अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ आवेदन के प्रत्येक पक्षकार को भेजेगी।

(ब) आवेदन के किसी पक्षकार से सुलह कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर उसके समक्ष अतिरिक्त कथन फाइल करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(ग) आवेदन के किसी पक्षकार से, उसे प्राप्त किसी दस्तावेज या कथन को, अन्य पक्षकार को, उसका उत्तर देने के लिए समर्थ बनाने हेतु संसूचित करेगी।

(4) जब कोई कथन, अतिरिक्त कथन और उत्तर, यदि कोई है, उपधारा (5) के अधीन स्थायी लोक अदालत के समाधानप्रद रूप में फाइल किया गया है। तब वह आवेदन के पक्षकारों के बीच सुलह कार्यवाहियां ऐसी रीति से करेगी जिसे वह विवाद की परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे।

(6) स्थायी लोक अदालत उपधारा (4) के अधीन सुलह कार्यवाहियां करने के दौरान पक्षकारों को विवाद के स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति में सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए उनके प्रयास में सहायता करेगी।

(7) आवेदन के प्रत्येक पक्षकार का यह कत्तव्य होगा कि वह आवेदन से संबंधित विवाद का सुलह कराने में स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भावनापूर्वक सहयोग करे और स्थायी लोक अदालत को, उनके समक्ष साक्ष्य और अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश का अनुपालन करे।

(8) जब स्थायी लोक अदालत की पूर्वोक्त सुलह कार्यवाहियों में यह राय है कि ऐसी कार्यवाहियों में समझौते के ऐसे तत्व विद्यमान है जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकेंगे, तब यह विवाद के सम्भाव्य समझौते के निबंधन विरचित कर सकेगी और संबंधित पक्षकार को उनके संप्रेश्रण के लिए देगी और यदि पक्षकार विवाद के समझौते के लिए सहमत हो जाते हैं तो वे समझौता करार पर हस्ताक्षर करेंगे तथा स्थायी लोक अदालत उसके निबंधानुसार अधिनिर्णय पारित करेगी और उसकी एक-एक प्रति संबद्ध पक्षकार को देगी।

(9) जहां पक्षकार उपधारा (1) के अधीन किसी करार पर पहुंचने से असफल रहते हैं, वहां यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है, तो स्थायी लोक अदालत, विवाद का विनिश्चय कर देगी।

स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया:

स्थायी लोक अदालत इस अधिनियम के अधीन सुलह कार्यवाहियाँ करते समय या विवाद का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय करते समय नैसर्गिक न्याय, निष्पक्षता,

www.ignited.in

साम्या, और न्याय के अन्य सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगी और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से आबद्ध नहीं होगी।

स्थायी लोक अदालत के अधिनिर्णय का अंतिम होना:

(1) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत द्वारा गुणागुण के आधार पर या समझौता करार के निबंधानुसार दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम होगा और उसके सभी पक्षकारों और उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर आबद्धकर होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिकी समझा जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय स्थायी लोक अदालत का गठन करने वाले व्यक्तियों के बहुमत द्वारा होगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम होगा और किसी मूल वाद, आवेदन या निस्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(5) स्थायी लोक अदालत, उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक अधिनिर्णय को स्थानीय अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय को भेज सकेगी और ऐसा सिविल न्यायालय अधिनिर्णय को इस प्रकार निस्पादित करेगा मानो यह उस न्यायालय द्वारा की गई डिकी हो।

लोक अदालतों की संरचना:

लोक अदालत योजना के पीछे मूल विचार यह था, कि न्यायालय में विशाल संख्या में लंबित वादों के निस्तारण में शीघ्रता लाई जाए एवं मुकदमें का व्यय कम किया जाये। न्याय पंचायत द्वारा प्रजातंत्र के सबसे नीचे के स्तर पर सामाजिक न्याय, सुनिश्चित किया जा सके। लोक अदालतों से यह अपेक्षा की गई थी कि वह वार्तालाप, समझौता एवं संधारण के माध्यम से विवादों का निस्तारण करेंगी।

लोक अदालतों की कार्यवाही में संधारण अधिकारी सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ताओं, विधि प्राध्यापक वर्ग एवं छात्र, अराजनैतिक सामाजिक कार्यकर्ता ग्रामीण वृद्ध जन, महिला अधिवक्ता तथा महिला सामाजिक कार्यकर्ता आदि अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करते है एवं ऐसी योजनाओं में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इन लोगों का यह भरसक प्रयत्न होता है कि ये विवादग्रस्त पक्षकारों को युक्ति-युक्ति समझौते के लिये सहमत होने के लिए गतिमान करते हैं एवं विधि के तहत उनके अधिकारों एवं दायित्वों के विषय में बताते हैं तथा मंच को वार्तालाप तथा समझौते के लिए गठित करते हैं एवं विधिक सहायता के समान युक्ति-युक्त शीघ्र समझौता करवाने में सहायता प्रदान करते हैं।

संदर्भित ग्रंथ सूची

1. दीवान पारस: ह्यूमन राइट्स एण्ड इंटरनेशनल लॉ, 2000.

2. गुप्ता अशोक कुमार: "म.प्र. में विधिक सहायता एवं लोक अदालत 2003", सरस्वती प्रकाशन भोपाल.

3. गुप्ता विश्व प्रकाश: लोकतंत्र समीक्षा 2004.

4. जैन/फड़िया: भारतीय शासन एवं राजनीति, चतुर्थ संस्करण 2003.

5. खेत्रपाल वी.एम.: "म.प्र. विधि निर्णय सार" दीप ज्योति प्रिंटर्स 1990.

Corresponding Author

Ratan Singh Tomar*

Research Scholar, LNCT University, Bhopal, Madhya Pradesh

www.ignited.in